अनुदान संख्या 72 – विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 72–MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	4883,91,00		4886,18,00	4309,96,66	–576,21,34
पूरक	Supplementary	2,27,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					574,70,30
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1010,28,00		1010,29,00	235,01,04	–775,27,96
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					775,27,95

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (57621.34 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 227.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.57621.34 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.227.00 lakhs obtained in March, 2008 and constituted 12 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1310.00	1161.10	1133.73	–27.37
पु.	R.	–148.90			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2801" बिजली	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	487081.00			
पू.	S.	226.00	429986.60	429862.93	–123.67
पु.	R.	–57320.40			

(I) 2883.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें 2782.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2801" - "सामान्य" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.2883.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.2782.00 lakhs accounted for under Major Head "2801" - "General" - under the following heads:-

(का) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - भावी उत्पादन परियोजनाएं" - 1000.00 लाख रु. स्कीम का पुनर्गठन किए जाने के कारण थे।

(A) "International Cooperation - Future Generation Projects" - Rs.1000.00 lakhs - due to restructuring of the scheme.

(खा) "अन्य व्यय" -

(B) "Other Expenditure" -

(क) "दिल्ली के अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना" - 282.00 लाख रु. संयुक्त राज्य विद्युत विनियामक आयोग स्थापित न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण थे।

(a) "Setting up of Joint SERC for Union Territories except Delhi" - Rs.282.00 lakhs - due to non-setting up of Joint State Electricity Regulatory Commission and economy measures.

(ख) "ऊर्जा संरक्षण" - 1500.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(b) "Energy Conservation" - Rs.1500.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - विद्युत मंत्रालय" के अंतर्गत 176.27 लाख रु. की बचत (1310.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंप्यूटरीकरण की व्यापक योजना स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Power" - saving of Rs.176.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1310.00 lakhs) was due to non-approval of the comprehensive plan scheme of Computerisation and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2801" -savings occurred under the following heads:-

(का) ''पनविद्युत उत्पादन - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - 6077.97 लाख रु. की बचत (6188.77 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Hydel Generation- Direction and Administration - Central Electricity Authority" - saving of Rs.6077.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6188.77 lakhs) was due to non-approval of the scheme.

(खा) ''ताप विद्युत उत्पादन - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र - प्रचालन और अनुरक्षण'' - 17200.00 लाख रु. की बचत (34200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष 2008-09 के लिए रेलवे को अग्रिम अदायगी जारी न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Thermal Power Generation - Badarpur Thermal Power Station - Operation and Maintenance" - saving of Rs.17200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.34200.00 lakhs) was due to non-release of advance payment for the year 2008–09 to Railways.

(गा) ''ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम'' - 6955.00 लाख रु. की बचत (398300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से अनुमोदन/अधिनिर्णय के लिए कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification Corporation For Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana" - saving of Rs.6955.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.398300.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for approval/award from Rural Electrification Corporation.

(घा) ''सामान्य'' -

(D) "General" -

(क) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान'' - 1942.00 लाख रु. की बचत (3013.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Training-National Power Training Institute" - saving of Rs.1942.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3013.00 lakhs); and

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(b) "Other Expenditure" -

(i) ''केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - 770.88 लाख रु. की बचत (4463.95 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) "Central Electricity Authority" - saving of Rs.770.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4463.95 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-approval of new schemes by the competent authority.

(ii) ''पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना'' - 110.00 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) "Setting up of Joint Electricity Regulatory Commission for North Eastern States and Sikkim" - saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme.

(iii) ''ऊर्जा दक्षता ब्यूरो'' - 2445.00 लाख रु. की बचत (6940.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(iii) "Bureau of Energy Efficiency" - saving of Rs.2445.00 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(iv) "विद्युत अपीलीय अधिकरण'' - 140.12 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(v) "एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए परामर्शी प्रभार'' - 18940.22 लाख रु. की बचत (21750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम का विलय पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम स्कीम के साथ किए जाने के कारण हुई।

(vi) "क्षमता निर्माण के लिए एफओआर को सहायता'' - 120.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2801'' - "पारेषण और वितरण - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 111.05 लाख रु. का अधिक व्यय (703.93 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए किराए की बकाया राशि की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 91.26 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 228 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय

provision of Rs.6940.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme.

(iv) "Appellate Tribunal for Electricity" - saving of Rs.140.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to economy measures.

(v) "Consultancy Charges for APDRP Projects" - saving of Rs.18940.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21750.00 lakhs) was due to merger of the scheme with restructured Accelerated Power Development and Reform Programme scheme.

(vi) "Assistance to FOR for capacity building" - saving of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to delay in the approval of the scheme.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Direction and Administration - Central Electricity Authority" - excess of Rs.111.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.703.93 lakhs) was due to payment of the rent arrears in view of the decision of Hon'ble Supreme Court of India.

(II) Under one head excess of Rs.91.26 lakhs occurred constituting 228 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	70747.00			
पु.	R.	–70747.00	..	..	..

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving– (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4801'' बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	30281.00			
पू.	S.	1.00	23501.05	23501.04	–0.01
पु.	R.	–6780.95			

निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

(I) 99696.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 99596.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' - 70647.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और नई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - इक्विटी अंतर निधीयन संबंधी स्कीम'' - 28949.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' के अंतर्गत 257.96 लाख रु. की बचत (332.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को भूमि सौंपने के विवाद के कारण हुई।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6073.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''पन बिजली उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - टिहरी

(I) Provision of Rs.99696.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.99596.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" – "Diesel/Gas Power Generation-Investment in Public Sector and Other Undertakings-North Eastern Electric Power Corporation" - Rs.70647.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Regions and Sikkim and surrender of the balance amount owing to non-approval of the new schemes.

(B) Major Head "4801" - "General - Other Expenditure - Scheme for Equity Gap Funding" - Rs.28949.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(II) Under Major Head "4801" – "General - Other Expenditure - Central Electricity Authority" - saving of Rs.257.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.332.00 lakhs) was due to dispute of handing over of the land by Power Grid Corporation of India to Central Electricity Authority.

4.(I) The above savings were partly (Rs.6073.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2008 under Major Head

जल विद्युत विकास निगम'' के अंतर्गत मार्च, 2008 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 16353.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीम पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

"4801" - "Hydel Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings -Tehri Hydro Development Corporation".

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4801" - "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" - excess of Rs.16353.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional head for utilisation on projects/scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.